(वाद सं0.-5807/4/32/2020)

06.07.2021

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, चन्दा देवी के पति(उत्तम कुमार राय), जो विधुत आपूर्ति प्रशाखा, गरखा (सारण) में मानव बल के रूप में कार्यरत थे, की दिनांक–24.07.2016 को विद्युत स्पर्शाधात से मृत्यु होने के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान, बकाया मासिक वेतन भुगतान व जीविका हेतु उसके आश्रित को नौकरी दिये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **उप सचिव, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना** के प्रतिवेदनानुसार मृत्तक, उत्तम कुमार राय, की दिनांक–24.07.2016 को विद्युत स्पर्शाधात के फलस्वरूप हुई मृत्यु के कारण उसके आश्रित (परिवादी) को विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, छपरा(पश्चिमी) द्वारा ₹ 4,00,000/- (चार लाख रूपया) मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है , जिसे उसकी पत्नी चंदा देवी (परिवादी) द्वारा स्वयं प्राप्त किया गया है।

अब जबकि संबंधित प्राधिकार द्वारा परिवादी को नियमानुसार अपने पति के विद्युत स्पर्शाधात से हुये मृत्यु से संबंधित मुआवजा राशि का भुगतान हो चुका है तो ऐसी परिस्थिति में **उप सचिव, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को

मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

राज्य आयोग अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु कोई अनुशंसा नहीं करता है। अगर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किये जाने का नियम है तथा परिवादी उक्त नियम की शर्तो के आधार पर पात्रता रखती है तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना, नियमानुसार अनुकम्पा के आधार पर उसके दावे पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार कर सकती है।

तद्नुसार **उप सचिव, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (अनुलग्नकों सहित) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक